उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग के अन्तर्गत पट्टा आवंटन की नीति क्या है और उक्त आवंटन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?	उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-निलामी के माध्यम से खनन पट्टा आवंटित किया जाता है। उक्त आवंटन प्रक्रिया का कार्य स्वच्छ एवं पारदर्शी बनाने हेतु एम०एस०टी०सी० (केन्द्रीय पी.एस.यू.) को सेवा प्रदाता के रुप में चयनित कर ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन एम०एस०टी०सी० के ई-आक्शन पोर्टल पर की जा रही है।
(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	जी हॉ। विवरण संलग्न है।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	लागू नहीं।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।

जिलों के निमित्त, गायों के आधार पर समय–समय यथा अधिसूचित दरों पर ऐसा शुल्क ग्रहण करेगी जिसे विनियमन शुल्क के रूप में जाना जायेगा।

(3) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा किसी खनिज के स्वामित्व (Royalty) की दर को ऐसे दिनांक से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, सम्मिलित करने या अपवर्जित करने अथवा बढ़ाने या घटाने के लिये प्रथम अनुसूची को संशोधित कर सकती है:

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार किसी खनिज के सम्बन्ध में स्वामित्व की दर को तीन वर्ष की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ायेगी और स्वामित्व की दर को खनिमुख मूल्य (Pits mouth value) के 20 प्रतिशत से अधिक पर नियत नहीं करेगी।

(4) जहाँ खनिज के खनिमुख मूल्य पर स्वामित्व लिया जाने वाला हो वहाँ राज्य सरकार ऐसे मूल्य का निर्धारण पट्टा देते समय कर सकती है और स्वामित्व की दर पट्टा विलेख में उल्लिखित की जायेगी। राज्य सरकार वर्ष में अधिक से अधिक एक बार खनिमुख मूल्य का पुनः निर्धारण कर सकेगी, यदि वह इसका बढ़ाया जाना आवश्यक समझे।

(5) राज्य के अन्दर अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनियमन शुल्क अवधारित किया जा सकेगा।

अपरिहार्य भाटक

22. खनन पट्टे का धारक, पट्टे की अवधि में पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में, ऐसी धनराशि का किस्तों में अग्रिम रूप भुगतान करेगा, जैसा कि इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जाये और यदि पट्टे की शर्तें उसी क्षेत्र में एक से अधिक खनिज निकालने की अनुमति देती है तो ऐसे प्रत्येक खनिज के लिये उक्त अपरिहार्य भाटक का भुगतान पृथक–पृथक रूप से किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के संबंध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि, जो भी अधिक हो, का देनदार होगा किन्तु दोनों का नहीं।

अध्याय–4

नीलाम पट्टा

ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी पट्टा हेतु घोषणा

23. (1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा **जियो कोआर्डिनेट्स के साथ** ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है।

(2)– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये–

(क)बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती

हो, के संदर्भ में खनन पट्टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्टे, एक बार में अधिकतम् पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई–निविदा या ई–नीलामी या ई–निविदा या सह ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे :

प्रतिबंध यह है कि यदि किसी कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तों के अधीन अल्पकालीन अनुज्ञा पत्र ई–निविदा/ई–नीलामी के द्वारा अधिकतम् छः माह की अवधि के लिए स्वीकृत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह और है कि खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने की दशा में अनुज्ञा पत्र धारक को समस्त देय धनराशियों का संदाय अग्रिम रूप में करना होगा।

(ख) प्राकृतिक चट्टान किस्म के ईमारती पत्थरों के नये क्षेत्र तथा पूर्व में पट्टे पर धृत क्षेत्र जो पट्टे की अवधि की समाप्ति के उपरान्त रिक्त माना जायेगा/माने जायेंगे एवं उसका/उनका नवीनीकरण नहीं किया जायेगा, को अधिकतम् बीस वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से पट्टाकृत किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व संबंधित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई–निविदा/ई–नीलामी /ई–निविदा सह ई–नीलामी की सम्पूर्ण प्रकिया समाप्त होने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर संबंधित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम् बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा –

(एक) पूर्ववर्ती पट्टा धारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्टा अवधि में पट्टा शर्तों का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/ खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ–साथ कालीसूची में उल्लिखित नहीं है;

(पांच) वह संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्टाधारक रहा हो तथा तत्सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई–निविदा/ई–नीलामी/ई– निविदा सह ई–नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई– नीलामी के माध्यम से विहित प्रकिया /प्रकियाओं के अनुसार भाग लिया है:

प्रतिबंध यह है कि 02 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के पट्टाधारक को, पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने से दो वर्ष के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करना होगा।

(ग) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चट्टान किस्म के ऐसे खनन निक्षेप, जो पूर्व में मुख्य खनिज के रूप में परिभाषित थे तथा जिसे भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–का.आ.423(ई) दिनांक 10.02.2015 द्वारा उपखनिज घोषित किया गया है, और अन्तर्निहित ग्रेनाईट से उक्त नये खनन क्षेत्रों को एक बार में अधिकतम् 32 वर्षो की अवधि तक के लिये ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से पूर्ववेक्षण अनुज्ञप्ति–सह खनन पट्टा स्वरूप पट्टाकृत किये जायेंगे, तथापि ऊपर उल्लिखित 32 वर्ष की अवधि में से दो वर्ष की अवधि पूर्वेक्षण कार्यों हेतु तथा पूर्वेक्षण कार्यो में खनिज की उपलब्धता सिद्ध हो जाने पर खनन पट्टे की अधिकतम् अवधि 30 वर्ष होगी।

यदि कोई क्षेत्र, पूर्व में पट्टे पर रहा हो अथवा संबंधित क्षेत्र के भीतर खनिज की उपलब्धता पहले ही स्वीकृत हो, तब ऐसे मामलों में खनन पट्टा सीधे अधिकतम् तीस वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि आशय पत्र जारी किये जाने के पूर्व संबंधित पट्टा क्षेत्र के पूर्ववर्ती पट्टाधारक, जिसका पट्टा हाल ही में समाप्त हुआ हो, को ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई– नीलामी की सम्पूर्ण प्रकिया समाप्त हाने के उपरान्त एक कार्य दिवस के भीतर, संबंधित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम् बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त होगा:–

(एक) पूर्ववर्ती पट्टाधारक का आचरण अच्छा रहा है;

(दो) उसने सम्पूर्ण पट्टा अवधि में पट्टा शर्तों का पालन निष्पक्ष रूप से किया है;

(तीन) उसके पास खनिज/खनन के सम्बन्ध में कोई धनराशि बकाया नहीं है;

(चार) उसका नाम अन्य बातों के साथ–साथ कालीसूची में उल्लिखित नहीं है;

(पांच) संबंधित क्षेत्र अथवा क्षेत्र से अधिक भाग का पट्टाधारक रहा हो तथा तत्सम्बन्ध में प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किया हो;

(छः) ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी से संबंधित अपेक्षित समुचित दस्तावेज/दस्तावेजों के साथ ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से विहित प्रकिया/प्रक्रियाओं के अनुसार भाग लिया है।

(घ) प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थाने चट्टान किस्म के निजी भूमि

के खनिज क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हों, अधिकतम् दस वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से पट्टा पर दिये जायेंगे:

प्रतिबंध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में, जिलाधिकारी खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात् मात्रा एवं अवधि अनधिक दस वर्ष का निर्धारण करते हुए ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–नीलामी पूर्ण होने पर इसके उच्चतम् बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम् बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उच्चतग् बिडकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/स्वामियों को भुगतान प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड.) नदी तल में स्थित निजी भूमि के क्षेत्र, जो न्यूनतम 01 हे0 हो, जिसमें बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में उपलब्ध हों, अधिकतम छः माह की अवधि के लिये ई–निविदा/ई–नीलामी/ई– निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से पट्टा पर स्वीकृत किये जायेंगे:

प्रतिबंध यह है कि सम्बन्धित खनन क्षेत्र में जिलाधिकारी, खनिज की उपलब्धता, क्षेत्र की उपयुक्तता, भूस्वामित्व के प्रमाण पत्र, भूस्वामियों की सहमति के शपथ पत्र, की पुष्टि करने के पश्चात् मात्रा एवं अवधि अनधिक छः माह का निर्धारण करते हुए ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही करेगा। भूस्वामी/स्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–नीलामी प्रकिया पूर्ण होने पर इसके उच्चतम् बोली को संज्ञान में लेकर सात कार्य दिवस के भीतर सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। यदि भू स्वामी/स्वामियों द्वारा प्रथम इनकार के इस अधिकार का प्रयोग नही किया जाता है तो उच्चतम् बिडकर्ता के पक्ष में पट्टा स्वीकृत किया जायेगा तथा भू स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जा सकेगी, देय होगी, जो राज्य सरकार को संदेय

धनराशि के अतिरिक्त होगी। भूस्वामी/स्वामियों को भुगतान, प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) उपनियम(1) के अधीन क्षेत्र की घोषणा किये जाने पर अध्याय–2, 3, 6 *और 9* के उपबन्ध, सिवाय नियम–10, 17 एवं 95 के उस क्षेत्र अथवा क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रकिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।

(4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।

ई–नीलामी या ई–निविदा या ई–निविदा सह ई–नीलामी से क्षेत्र का वापस लिया जाना

24. राज्य सरकार घोषणा द्वारा नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन घोषित किसी क्षेत्र या क्षेत्रों या उसके किसी भाग को उसमें निर्दिष्ट किसी पट्टा प्रणाली से वापस ले सकती है और घोषणा में विनिर्दिष्ट वापसी के दिनांक से, जो इस अध्याय के अधीन दिये गये पट्टे की साधारण अवधि के दौरान वापसी का दिनांक न होगा, इस नियमावली के अध्याय 2,3,6 और 9 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों पर लागू होंगे।

ई–निविदा या ई–नीलामी या ई–निविदा सह ई–नीलामी पट्टा के लिए घोषित क्षेत्र या क्षेत्रों का रजिस्टर

25. जिला अधिकारी नियम 23 के उपनियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्रों का एक रजिस्टर प्रपत्र एम0एम0 5 में अनुरक्षित करायेगा।

पट्टे देने का निर्बन्धन

26. किसी व्यक्ति को पट्टा हेतु ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने की निम्नलिखित दशा में अनुमति नहीं दी जायेगी –

(क) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है;

(ख) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाये हैं;

(ग) जिसने जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से सम्बन्धित पुलिस सत्यापन के आधार पर जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है;

(घ) जिसने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत न किया हो;

(ड़) जिसका नाम काली सूची में उल्लिखित हो;

(च) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन सं0 तथा जी0एस0टी0 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो ;

(छ) *जिसने ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता*

प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत न की हो।

ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा पट्टा अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

27. (1) जहां ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी स्वीकृत किया जाना समीचीन हो वहां यथास्थिति जिला अधिकारी या समिति ई–निविदा/ई–नीलामी /ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवधारित दिनांक, समय और वेब पोर्टल निर्धारित करेगी, जिसकी प्रकिया ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से निम्नानुसार पट्टा दिया जायेगा :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत समिति, सम्बन्धित ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी से कम से कम तीस दिन पूर्व सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें ऐसी ई–निविदा/ ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिये राज्य सरकार द्वारा अवधारित अन्य बातों के साथ–साथ दिनांक, समय एवं वेब पोर्टल उल्लिखित होगा:

प्रतिबंध यह है कि जहां किसी भी कारण से ई–निविदा /ई–नीलामी /ई–निविदा सह ई–नीलामी पूरी न हुई हो वहां अन्यून सात दिन की अल्प कालिक सूचना देने के पश्चात ऐसी ई–निविदा/ ई–नीलामी/ई– निविदा सह ई–नीलामी पुनः पूरी की जा सकती है।

(ख) ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना नीचे दी गयी रीति से प्रकाशित की जायेगी –

(एक) सूचना की प्रतियां, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित/चस्पा की जायेगी।

(दो) सूचना की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा अवधारित वेब पोर्टल या वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(तीन) जन साधारण की सूचना के लिये सूचना जिले में परिचालित कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी, और

(चार) किसी ऐसी अन्य रीति से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदेशित की जाय।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से नीचे का न हो, को ई–निविदा/ई–नीलामी/ ई–निविदा सह ई–नीलामी के प्रायोजन के लिये पीठासीन अधिकारी नियुक्ति कर सकता है।

(घ) ई–निविदा/ई–नीलामी/ ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु क्षेत्र या क्षेत्रों का ब्यौरा तथा पट्टे की निर्बन्धन और शर्तें, जारी की जाने वाली सूचना में उल्लिखित की जायेंगी।

(ड.) कोई व्यक्ति, जो ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह

ई–नीलामी से संबंधित कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये इच्छुक हो, पन्द्रह हजार रूपया शुल्क के रूप में जमा करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित और उपबन्धित रूप में अप्रतिदेय होगा।

(च) ई–निविदा/ई–नीलामी/ ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रत्येक बोली लगाने वाले/ निविदाकर्ता को ऐसी धनराशि, अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करना होगा, जैसा कि सूचना में विहित किया जाये।

(छ) सफल बोली लगाने वाले/निविदाकर्ता को छोड़कर बोली लगाने वाले/निविदाकर्ताओं द्वारा जमा अग्रिम धन उन्हें वापस कर दिया जायेगा।

(3) पट्टा देने के पश्चात नदी तल उपखनिजों यथा बालू, मौरम, बजरी–बोल्डर के पट्टाधारक, पंचम अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा और अन्य खनिजों का पट्टाधारक, चतुर्थ अनुसूची में यथा उल्लिखित धनराशि का संदाय करेगा।

पट्टे का दिया जाना

28. (1) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति ई–निविदा के मामले में सबसे ऊँचा प्रस्ताव स्वीकार करेगा/करेगी, ई–नीलामी के मामले में उच्चतम् बोली, और ई–नीलामी सह ई–निविदा के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को स्वीकार करेगा/करेगी जो सबसे ऊंचा हो।

(2) जिला अधिकारी सम्बन्धित ई–निविदा/ई–नीलामी/ ई–निविदा सह ई–नीलामी के उच्चतम् बोली/प्रस्ताव की घोषणा करेगा और एक आशय पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जायेगा, जिसकी बोली या प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो, जिसमें निम्न विवरण सम्मिलित होंगे :–

(एक) सफल बोली लगाने वाले को पट्टा विलेख के निष्पादन तथा पट्टे के निबन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में बोली की धनराशि का पचीस प्रतिशत और स्वामित्व की प्रथम किस्त के रूप में उतनी ही धनराशि दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना होगा। अग्रिम धन की राशि प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

(दो) प्रथम वर्ष के लिए देय धनराशि का निर्धारण, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र में उल्लिखित खनिज की मात्रा को ई–निविदा/ई– नीलामी में प्राप्त धनराशि की दर से गुणा कर किया जायेगा।

(तीन) स्वस्थाने चट्टान किस्म के पत्थर को छोड़कर अनुवर्ती वर्षों के लिए संदेय धनराशि में, पूर्ववर्ती वर्ष की संदेय धनराशि में दस प्रतिशत की दर से वृद्धि की जायेगी।

प्रतिबंध यह है कि स्वस्थाने चट्टान किस्म के पत्थर के खनिजों पर प्रथम दस वर्षों के लिये संदेय धनराशि, बोली दर अथवा समय–समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी:

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि प्रत्येक दस वर्ष पर संदेय धनराशि में

पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी किन्तु अनुवर्ती वर्षों में संदेय धनराशि, नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर से कम नही होगी।

(चार) ई–निविदा/ई–नीलामी की धनराशि का अवधारण नदी तल खनिज, यथा–बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर हेतु पंचम अनुसूची के अनुसार और अन्य खनिज हेतु चतुर्थ अनुसूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(पांच) पट्टा के अधीन स्वीकृत किसी क्षेत्र का सीमांकन नियम–17 के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और सीमास्तम्भ नियम–36 के अनुसार लगाये जायेंगे तथा उनका अनुरक्षण उक्त नियम के अनुसार किया जायेगा।

(छ) पट्टा शर्तों का उल्लेख किया जायेगा।

(3) यदि जिला मजिस्ट्रेट की राय में ई–निविदा/ई–नीलामी /ई–निविदा सह ई–नीलामी में कोई बोली या प्रस्ताव संतोषजनक न हो, तो वह ई–निविदाओं/ई–नीलामियों में सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है और नये ई–नीलामी या ई–निविदा या ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिए उसके कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् आदेश दे सकता है।

पट्टा विलेख का निष्पादन

29. (1) संबंधित ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी का आशय पत्र प्राप्त करने के पश्चात सफल बोली लगाने वाला/ निविदाकर्ता नियमानुसार विहित अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा तथा तत् संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन प्रपत्र एम0एम0 6 या उसके समान प्रपत्र में किया जायेगा। उक्त निष्पादित पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण तीन मास की अवधि के भीतर किया जायेगा। पट्टा अवधि की गणना संबंधित पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से की जायेगी। यदि पट्टा धारक की चूक के कारण तीन माह के भीतर उक्त निष्पादित पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है तो उक्त पट्टा विलेख निरस्त माना जायेगा तथा प्रतिभूति की धनराशि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

(2) यथास्थिति, जिला अधिकारी या समिति द्वारा क्षेत्र के मानचित्र सहित पट्टा विलेख की एक प्रतिलिपि उसके निष्पादन के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर निदेशक को प्रेषित की जायेगी।

खनन पट्टे का अभ्यर्पण

30. पट्टाधारक, अभ्यर्पण की आशयित दिनांक को उस वर्ष की वार्षिक किस्त की पच्चीस प्रतिशत के बराबर की धनराशि, जिसे प्रतिभूति के सापेक्ष समायोजित की जा सकती है, जमा कर निम्न दस्तावेजों के साथ अभ्यर्पण के लिए आवेदन करेगा :

(क) राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के लिये प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति।

(ख) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा तथा खनन की गयी मात्रा के मध्य अन्तर के लिये जमा की गयी धनराशि का प्रमाण–पत्र अथवा अन्तर न होने की स्थिति में ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी सम्बन्धित पट्टा अदेयता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त के अनुसार पट्टाधारक को पट्टा अभ्यर्पण हेतु आवेदन के दिनांक से खनन कियाकलाप करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को रिक्त किया हुआ माना जायेगा।

पट्टा का रजिस्टर

31. खनन पट्टों का एक रजिस्टर जिला अधिकारी के कार्यालय में प्रपत्र एम0एम0 7 में रखा जायेगा और उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी।

अध्याय–5
खनन पट्टे की शर्तें

इस अध्याय में उल्लिखित शर्तें सभी पट्टों में लागू होंगी

32. (1) प्रत्येक खनन पट्टा इस अध्याय में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, जिन्हें इस नियमावली के अधीन दिये गये प्रत्येक खनन पट्टे में समाविष्ट किया गया समझा जायेगा।

अन्य खनिजों की खोज

33. (1) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज की खोज की सूचना, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो, राज्य सरकार को उक्त खोज के दिनांक से तीस दिन के भीतर देगा।

(2) यदि पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में किसी ऐसे खनिज का पता चल जाये, जो पट्टे में निर्दिष्ट न हो तो, पट्टेदार ऐसे खनिज को तब तक लब्ध (win) और उसका निस्तारण न करेगा जब तक कि उसके लिये पृथक पट्टा न ले लिया जाये।

विदेशी राष्ट्रिक सेवायोजित नहीं किया जायेगा

34. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पट्टेदार खनन संक्रियाओं के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति को सेवायुक्त नहीं करेगा जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

खनन संक्रियायें छः मास के भीतर प्रारम्भ होंगी

35. (1) इस नियमावली के अध्याय–दो, चार और नौ के उपबन्धों के अधीन खनन पट्टा विलेख का निष्पादन किये जाने से पूर्व या अध्याय–छः के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व 'चयनित आवेदक', निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो निम्नलिखित अर्हता एवं अनुभव धारित करता हो, से खनन योजना तैयार करायेगा, अर्थात् :–

(एक) केन्द्रीय अधिनियम या प्रान्तीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था सम्मिलित है, से प्रदान किये गये खनन अभियंत्रण में डिग्री या भू–विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, और